न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थीगण
प्रहलादसिंह पुत्र स्वरूपसिंह राजपूत निवासी पलाड़ा	ना म	महावीरसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत निवासी पलाड़ा तह. कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर 85 /2022 GCMS No.2022/173

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07.06.2022	वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 08.07.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पलाड़ा पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 213 में अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार से हस्तानान्तरण नही करे। अप्रार्थी सं. 9 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 08.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) 08/07/2022 पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 29/9/2022 को पेश हो। 01/8/2022 वकील प्रार्थी के अवेदन पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थी ने कथन किया है कि पत्रकापन के मध्य सजीवाला हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोल खारिज किया जावे। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी पत्र प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 R.T.Act जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से बाहर होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	